ग्राम नंगलापातू, मेरठ की भूमि पर कैटिल कालोनी विकसित किये जाने हेतु मेरठ शहर में सचांलित डेयरी स्वामियों/पशुपालकों की दिनांक 24.01.2023 को उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यिक्षत में आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

मेरठ नगर के नागरिकों द्वारा मेरठ शहर में स्थित डेयरियों को नगर के बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दाखिल की गयी है। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या–14257/2020 में माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की 121वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18.07.2022 में ग्राम नगंलापातू, मेरठ की भूमि पर कैटिल कालोनी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 बोर्ड के निर्देशों के क्रम में कैटिल कालोनी के ले–आउट प्लान पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 12.10.2022 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा ले–आउट प्लान के अनुरूप विकास कार्यो के आगणन को तैयार किया गया है। कैटिल कालोनी विकसित किये जाने हेतु शहर में विद्यमान पशुपालको/डेयरी स्वामियों/डेयरी एसोसिएशन के साथ ग्राम नंगलापातू, मेरठ की 2.28 हैक्ट भूमि पर कैटिल कालोनी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 24.01.2023 को आहुत बैठक में विचार–विमर्श उपरान्त कैटिल कालोनी के डिमान्ड सर्वे, सत्यापन तथा उक्त के आधार पर पुर्ननियोजन 15 दिवस में किये जाने हेतु निम्न निर्णय लिए गयेः–

1. शहर में विद्यमान पशुपालको/डेयरी स्वामियों हेतु डिमान्ड सर्वे की धनराशि रू0 10,000/– दर को समाप्त करते हुए निशुल्क डिमाण्ड सर्वे दिनांक 25.01.2023 से ऑनलाईन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।
2. उक्त सर्वे में मुख्यतः पशुपालकों के पशुओं की संख्या तथा कैटिल कालोनी में भूखण्ड प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ग मी0 इच्छित दर प्राप्त की जाएगी, जिसे मुख्य आधार बनाकर डेयरियों को लघु श्रेणी, मध्यम श्रेणी व वृहद श्रेणीयों में वर्गीकृत कर उक्त के आधार पर आवश्यकतानुसार पर्नुनियोजन कर कैटिल कालोनी विकसित की जाएगी।

3. उक्त डिमान्ड सर्वे में प्राप्त आवेदनो का सत्यापन नगर निगम, मेरठ से कराये जाने का निर्णय लिया गया।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

पत्रांक – 124/नियोजन अनुभाग/22 दिनांक 25/01/2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को सूचनार्थ।
2. मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह उपाध्याय, 1642, इन्द्रानगर प्रथम, मेरठ–250002, मो0नं0–8445961777 को सूचनार्थ।
4. श्री शरद श्रीवास्तव को डिर्माड सर्वे मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

श्री प्रदीप
Sharad
27/1/23